20/5/19 प्रार्थी व वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा० पत्र विड्रा करने पेश होने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुयी। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी T.I प्रा० पत्र को चलाना नहीं चाहता है। विड्रा करना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र बाबत विड्रा करने स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलंग्न हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सुनील

(अंजु शर्मा)
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner